

17

प्रेषक,

मोहन लाल,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियों, उ०प्र०,  
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 03 जून, 2010.

विषय- थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि० नया बाजार,  
चुन्नीगंज कानपुर के नामकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-41एस०एम०/49-3-2010  
132/2007, दिनांक 18-05-2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे  
जिसके द्वारा प्रश्नगत भवन का नामकरण "बाबा साहब भीमराव  
अम्बेडकर भवन" किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई है।

2- इस सम्बंध में उक्त नाम करण में आंशिक संशोधन करते हुये  
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत निर्माणाधीन भवन का  
नामकरण "बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भवन" के स्थान पर  
"बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर भवन" पढ़ा जाय।

उक्त सीमा तक शासनादेश संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

( मोहन लाल )  
विशेष सचिव।

संख्या-185 | (1) / 49-3-2010-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ०प्र० तीसरा तल, इंदिरा भवन,  
अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियों उ०प्र० कानपुर।
- 3- अध्यक्ष, थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, नया बाजार,  
चुन्नीगंज, कानपुर।
- 4- निजी सचिव, मा० सहकारिता मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

( मोहन लाल )  
विशेष सचिव।